संख्या-393/2021/आई/90548/ 41-1099/331/2019-01(वि0आ0)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 अगस्त, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में रामायण कान्क्लेव एवं वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1748/15-1-838(25)/ट्रै0ट्रे0/2021, दिनांक 04.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान सं0-44 में प्राप्त बजट संकलन के अनुसार राजस्व मद के लिए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उसके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (रू0 लाख में)

लेखाशीर्ष/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधानित आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3
लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-09-रामायण कान्क्लेव का आयोजन-42-अन्य व्यय	300.00	300.00
लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव का आयोजन-42-अन्य व्यय	15.00	15.00

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12

में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-44 लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-09-रामायण कान्क्लेव का आयोजन-42-अन्य व्यय तथा लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव का आयोजन-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रण, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।